रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

केन्द्रीय सचिवालय ग्रन्थालय CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY Dt. 5/11/90 GOVT. OF INDIA भारत सरकार

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 503] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 20, 1989/भाद्र 29, 1911

No. 503] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 20, 1989/BHADRA 29, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1989

अधिसूचना

सा. का. नि. 847(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 123 के अंतर्गत नव मंगलूर पत्तन के न्यासियों के मंडल को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कर्नाटक सरकार के राजपत्र दिनांक 25 मई, 1989 और 1 जून, 1989 में प्रकाशित नव मंगलूर पत्तन के न्यासियों के मंडल द्वारा निर्मित नव मंगलूर पत्तन न्यास (कारस्थम अथवा बंदी करना और जलयान विक्रय) विनियम, 1989 को जैसा कि इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में विस्तार से उल्लेख किया गया है अनुमोदित करती है।

[फा. सं. पी. आर. 16012/1/89]
योगेन्द्र नारायण, संयुक्त सचिव

अनुसूची

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 53 और 64 के साथ पठित धारा 123 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

(1) इन विनियमों को नव मंगलूर पत्तन न्यास (न्यू मेंगलूर पोर्ट ट्रस्ट) विनियम, 1989 (कारस्थम् अथवा बंदी करना और जलयान विक्रय) कहा जा सकता है।

(2) ये केन्द्र सरकार के अनुमोदन से राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. लागू होना :

ये विनियम उन सभी जलयानों पर लागू होंगे जिनके संबंध में, कोई रेट अथवा जुर्माना अथवा दोनों हों महापत्तन न्यास, अधिनियम, 1963 के अधीन, अथवा उसके अंतर्गत

किसी विनियम अथवा आदेश के अधीन देय हो, लेकिन ये केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के जलयानों अथवा उसके सेवाधीन जलयानों अथवा किसी विदेशी राज्य के किसी युद्धपोत पर लागू नहीं है।

3. परिभाषाएं :

इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(1) "अधिनियम" का अर्थ है महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38)।

(2) "उप संरक्षक" का अर्थ है वह अधिकारी जो इस समय नौ-विभाग, न्यू मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट का प्रभारी है और उपसंरक्षक के प्रतिनिधि और सहायक और उपसंरक्षक के अधीन काम कर रहा कोई अन्य अधिकारी भी शामिल है।

(3) "फार्म" का अर्थ है इन विनियमों से संलग्न फार्म।

(4) "रेट" का अर्थ है अधिनियम के अधीन देय रेट अथवा जुर्माना।

(5) इन विनियमों में इस्तेमाल किए गए जिन शब्दों और अभिव्यक्तियों की परिभाषा इन विनियमों से नहीं दी गई है लेकिन जिनकी परिभाषा अधिनियम में दी गई है, उन शब्दों और अभिव्यक्तियों से तात्पर्य अधिनियम में दी गई परिभाषा से होगा।

4. करस्थम अथवा जलयान बंदी बनना :

(1) यदि ऐसा कोई जलयान जिसके संबंध में रेट/जुर्माने की अदायगी नहीं की गई है। पत्तन पर खड़ा हो तो उप-संरक्षक फार्म I में मांग करेगा कि व्यतिक्रमी जलयान का मास्टर उक्त मांग जारी होने की तारीख से सात दिन की अवधि के अन्दर सभी रेटों अथवा जुर्मानों की अदायगी करे।

(2) उक्त मांग के साथ उन बिलों की प्रति संलग्न की जाए जिन में उस रेट अथवा जुर्माने के पूरे ब्यौरे दिए गए हों जिसकी वसूली संबंधित जलयान के मालिक अथवा एजेंट से की जानी है और जिनकी अदायगी अभी तक बोर्ड को देय है।

(3) उक्त मांग मास्टर से की जाएगी और मास्टर के उपलब्ध न होने की स्थिति में जलयान के मस्तूल पर मांग नोटिस लगाने को मास्टर को दी मांग संबंधी सूचना ही समझा जाएगा।

(4) यदि व्यतिक्रमी जलयान का मास्टर रेट/जुर्माने अथवा उसके किसी अंश की अदायगी मास्टर से की गई मांग में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अन्दर करने से इनकार करता है अथवा करने में लापरवाही बरतता है तो बोर्ड उक्त जलयान और नौकापकरण, पोत-सज्जा और पोत का फर्नीचर अथवा उसके किसी भी भाग को करस्थम अथवा बंदी कर सकता है और उसे तब तक रोके रखेगा जब तक बोर्ड को देय राशि की अदायगी ऐसी किसी अवधि के लिए बताई गई अतिरिक्त राशि सहित नहीं कर दी जाती जिस अवधि में जलयान रोक कर अथवा बंदी बनाकर रखा गया गया हो।

(5) व्यतिक्रमी जलयान को करस्थम करने अथवा बंदी बनाने के लिए उप संरक्षक फार्म II में बंदी बनाने का वारंट स्पष्ट रूप से देय राशि विनिर्दिष्ट करते हुए जारी करेगा और उसमें उसमें इस बात का उल्लेख भी किया जाएगा कि उसे तब तक करस्थम् अथवा बंदी बनाकर रखा जाएगा जब तक रेट अथवा जुर्माने के साथ-साथ देय होने वाली अतिरिक्त राशि की अदायगी बोर्ड की पूर्ण संतुष्टि के अनुसार नहीं कर दी जाती।

(6) (क) गिरफ्तारी वारंट जलयान के मास्टर को दिया जाएगा और उसकी प्रति जलयान के मस्तूल पर लगायी जाएगी।

(ख) मास्टर के उपलब्ध न होने पर अथवा वारंट लेने से इनकार करने के मामलों में जलयान के मस्तूल पर वारंट की प्रति लगाने को यह समझा जाएगा कि मास्टर को वारंट की प्रति की तामील कर दी गई है।

(7) यदि जलयान करस्थम करने और बंदी बनाने संबंधी रेट जुर्माने अथवा उसे रखने की लागत की अदायगी जलयान के मालिक अथवा मास्टर अथवा एजेंट द्वारा बोर्ड की पूर्ण संतुष्टि के लिए करस्थम अथवा गिरफ्तारी किए जाने के अगली पांच दिन की अवधि के अंदर नहीं की जाती है तो बोर्ड जलयान अथवा इस तरह से करस्थम रोककर रखी गई वस्तुओं को बेच देगा।

(8) यदि किसी विदेशी जलयान का करस्थम करने अथवा बंदी बनाने का आदेश दिया जाता है तो उसकी सूचना उस देश के दूतावास को और जल भूतल मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार को भी दी जाएगी।

5. करस्थम अथवा बंदी बनाए गए जलयानों की बिक्री :

(1) उप संरक्षक करस्थम जलयान की आरक्षित बिक्री कीमत का पता लगाने के लिए अनुमोदित सर्वेक्षकों द्वारा जलयान मूल्य निर्धारण सर्वेक्षण कराएगा।

(2) उप संरक्षक जलयान और नौकापकरण, पोत सज्जा और पोत का फर्नीचर बिक्री के लिए प्रस्तुत करने से पहले महानिदेशक की अनुमति लेगा।

(3) माल विक्रय अधिनियम, 1930 के उपबंधों और निविदा सूचना में दी गई बिक्री के शर्तों के अनुसार बिक्री की जाएगी।

(4) भावी प्रेस विज्ञापन के माध्यम से चार प्रमुख समाचार—पत्रों में जिन में हिन्दी और एक क्षेत्रीय भाषा का दैनिक भी शामिल है, निविदाएं प्राप्त करने की अंतिम तारीख का उल्लेख करते हुए क्रेताओं से फार्म-III में मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।

(5) भावी क्रेताओं को प्रेस में प्रकाशित बिक्री सूचना के बाद उप संरक्षक द्वारा नियत की गई विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान जलयान का निरीक्षण करने की अनुमति दी जाएगी।

(6) प्रत्येक निविदा के साथ मामले में उप संरक्षक द्वारा नियत बयाना राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा कराई जाएगी।

(7) नियत तारीख और समय के बाद प्राप्त की गई निविदाएं तत्काल अस्वीकृत मानी जाएंगी।

(8) मोहरबंद निविदाएं उप-संरक्षक द्वारा निविदाएं खोलने के लिए नियत तारीख को और नियत समय पर निविदाकारों की उपस्थिति में खोली जाएगी और यदि कोई निविदाकार निविदाएं खोलने के लिए नियत समय पर उपस्थित नहीं रहता तो कारण बताकर उसकी निविदा खोले बिना ही अस्वीकृत की जा सकती है।

(9) सफल निविदाकार को आकार की स्वीकृति की सूचना भेजी जाएगी।

(10) सफल निविदाकार को प्रस्तावित राशि के 25 प्रतिशत की अदायगी निविदा के स्वीकृति होने की तारीख से 5 दिन के अन्दर और शेष राशि की अदायगी उस तारीख से 15 दिन के अन्दर करनी होगी। सफल निविदाकार को निविदा मूल्य के अलावा उप संरक्षक द्वारा निर्धारित मूल्य के लिए बैंक गारंटी भी प्रतिभूति जमा के रूप में जमा करनी होगी जिसे सफलता पूर्वक कार्य समाप्त होने के बाद तीन महिने की अवधि के अन्दर वापस कर दिया जाएगा। किन्तु इस तरह जमा कराई गई राशि पर पत्तन कोई ब्याज नहीं देगा।

(11) स्वीकृति की तारीख से 55 दिन के अन्दर प्रस्तावित राशि के 25 प्रतिशत अंश की अदायगी न करने पर जब तक कि अन्यथा आदेश न दिया गया हो, बिक्री स्वतः ही प्रतिसंहृत हो जाएगा और बयाना राशि समपहृत (जब्त) कर ली जाएगी और जलयान उस निविदाकार के जोखिम पर पुनः बेच दिया जाएगा जिसकी निविदा स्वीकृति की गई थी।

(12) यदि किसी कारणवश जलयान बंदरगाह से 30 दिन के अन्दर नहीं हटाया जाता तो पत्तन के दरमान में निर्धारित सामान्य प्रभारों के अलावा अतिरिक्त सामान्य भाड़े की उगाही भी की जाएगी।

ध्यान दें कि यदि उल्लिखित राशि और करस्थम की लागत करस्थम आदेश (अर्थात्)...... की तारीख से 5 दिन के अन्दर निश्चित नहीं की जाती है तो उक्त अधिनियम की धारा 64 के अधीन दी गई शक्तियों के अधीन उपर्युक्त जलयान बेचने के लिए बाध्य हूंगा और बिक्री से हुई आय बोर्ड के देय प्रभारों में समायोजित की जाएगी जिसमें जलयान बिक्री लागत भी शामिल होगी।

भवदीय

उप-संरक्षक

मैसर्स को प्रति :

जलयान के मालिक

मैसर्स को प्रति :

जलयान का एजेंट

6. जलयान के क्रेता का दायित्व

(1) निविदा के स्वीकृति की तारीख को और तारीख से देय रेंट/जुर्माने और अन्य प्रभारे क्रेता से देय होगी।

(2) निविदा स्वीकृत होने पर क्रेता उप-संरक्षक द्वारा प्रकलित 30 दिन के लिए पत्तन को देय राशियां शुल्क और प्रभारों की उतनी राशि जमा कराएगा जितनी उस अवधि के लिए देय होगी।

(3) लागू सीमा-शुल्क और उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, स्थानीय कर, आदि क्रेता को वहन करने होंगे और वह संबंधित प्राधिकरणों उक्त शुल्कों और करों की राशियां प्रेषित करेगा और पत्तन द्वारा जलयान ले जाने की अनुमति देने से पहले उक्त अदायगियों की रसीदें प्रस्तुत करेगा।

4 (क) निविदा स्वीकृत के होने के तत्काल बाद क्रेता जलयान के बन्दरगाह पर रखे जाने की अवधि के दौरान जलयान को प्रमाणपत्र मास्टर प्रमाणपत्रित अधिकारी और पर्याप्त कर्मचारियों के साथ इंजीनियरों से रक्षित और अनुरक्षित करवाने के लिए सभी व्यवस्थाएं करेगा।

(ख) यदि क्रेता द्वारा द्वारा जलयान की रक्षा और अनुरक्षण के लिए आवश्यक व्यवस्था नहीं की जाती तो पत्तन प्राधिकारी इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त व्यक्ति पर नियोजित करेंगे और इस संबंध में किए गए सभी यथोचित खर्चों की वसूली क्रेताओं से की जाएगी।

अध्यक्ष

न्यू मैंगलूर पोर्ट ट्रस्ट

फार्म—I

[विनियम 4 (1) देखें]

सेवा में

मास्टर,

एम. वी./एस. एस.

विषय :—एम. वी. रेंट/जुर्माना—रेंट/जुर्मानों की गैर-अदायगी—तत्काल अदायगी करने की मांग करते हुए नोटिस जारी करना।

महोदय,

मेरा उक्त पत्र देखें जिसमें आपसे ता. ———————को अथवा से पहले पत्तन न्यास को महापत्तन न्यास अधिनियम, 1693 के उपबंधों/विनियमों अथवा उसके अधीन किए गए आदेशों के अधीन देय निम्नलिखित रेंट और जुर्मानों के लिए तारीख———— तक————————रु. की राशि की अदायगी करने का अनुरोध किया गया था।

1.——————————————————. 2 ————————————————3. ——————————————लेकिन अभी तक जलयान के मास्टर के रूप में अपने अथवा एजेंट ने पूर्वोक्त रेंट/जुर्माने के संबंध में मांगी गई पत्तन को देय राशियां की अदायगी के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है। इस प्रकार ता. ——————————को———————रु. की राशि आपके नियंत्रणाधीन जलयान के लिए देय है।

2. आपको इन सात दिनों में उपर्युक्त अदायगी करने के लिए नोटिस दिया जाता है, इस नोटिस के मिलने के बाद उसका अनुपालन न करने पर महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा-64 के उपबंध के अधीन जलयान और नौकोपकरण, पोत-पञ्जा, पोत फर्नीचर का करस्थम करने और बंदी बनाने के लिए प्रतिसंहृत कर लिया जाएगा जब तक कि बोई का देय राशि और जिस अवधि में जलयान रोककर अथवा बन्दी बनाकर रखा गया हो इस अवधि की अतिरिक्त राशि सहित अदा नहीं कर दी जाती ।

भवदीय,

उप-संरक्षक

मैसर्स को प्रति

एम. वी. के मालिक

मैसर्स को प्रति : जलयान के एजेंट

फार्म—II

[विनियम 4 (5) देखें]

सेवा में,

मास्टर,
एम. वी./एस. एस.

विषय : शिपिंग—एम. वी. रेट/जुर्माना रेट/जुर्मानों की गैर-अदायगी—करस्थम आदेश—

संदर्भ : तारीख————————का मेरा समसंख्यक पत्र ।

महोदय

मेरा उद्धृत पत्र देखें जिसमें आपसे ता.————————को अथवा से पहले ————————पत्तन न्यास को देय रेट/जुर्मानों के लिए तारीख————————तक————————रु. की राशि की अदायगी करने का अनुरोध किया गया था ।
लेकिन अभी तक जलयान के मास्टर के रूप में आपने अथवा एजेंट ने ता.————————को मांगी गई न्यू मैंगलूर पत्तन न्यास को देय राशियों की अदायगी के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है। आपको एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि ता.————————को रेट/जुर्मानों के लिए लगभग————————रु. की राशि आपके नियंत्रणाधीन जलयान के लिए देय है।————————बोई को देय उपर्युक्त रेट/जुर्माने की गैर-अदायगी को ध्यान में रखते हुए मैं एतद्द्वारा महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 64 के उपबंधों के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित करता हूं कि जलयान एम. वी.————————करस्थम कर लिया जाए और तब तक निरुद्ध रखा जाए जबतक ऐसी किसी अवधि के लिए ————————बोई को देय राशि और जिस अवधि में जलयान रोककर अथवा बंदी बनाकर रखा गया हो उस अवधि के लिए भी अतिरिक्त राशि बोई को अदा नहीं कर दी जाती ।

फार्म—III

[विनियम 5(4) देखें]

विज्ञापन

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा—64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यू मैंगलूर पोर्ट ट्रस्ट जलयान एम. वि. की बिक्री के लिए आशयित क्रेताओं से सीलबंद निविदाएं "जैसा है जहां है" आधार पर आमंत्रित की जाती है ।

2. जलयान का संक्षिप्त ब्योरा निम्नलिखित है :—

जलयान का नाम :—

निर्माण का वर्ष :—

सकल पंजीकृत टन भार :—

निवल पंजीकृत सामान :—

लंबाई :—

चौड़ाई :—

गहराई :—

कुल भार —

ब्रेक हार्स पावर :—

भारित कुल टन भार :—

निर्माण का वर्ष :—

मार्क :—

3. आफर दो हरे सीलबंद लिफाफे में तारीख—को——बजे से पहले उप-संरक्षक, न्यू मैंगलूर पोर्ट ट्रस्ट के नाम से————रु० (——————रुपए) की बयाना जमा——————के पक्ष में——————पर देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा आमंत्रित की जाती हैं। निविदा के लिफाफे पर "एम. वि.————की खरीद के लिए निविदा" लिखकर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

4. नियत तारीख और समय के बाद प्राप्त की गई सभी संविदाएं तत्काल अस्वीकृत समझी जाएंगी।

5. जलयान की खरीद के लिए सीलबंद निविदाएं उप-संरक्षक की उपस्थिति में न्यू मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट के कार्यालय में तारीख ————————को खोली जाएगी।

6. सफल निविदाकार प्रस्तावित राशि के 25 प्रतिशत अंश की अदायगी निविदा के स्वीकृति होने की तारीख से 5 दिन के अन्दर और शेष राशि की अदायगी उस तारीख से 15 दिन के अन्दर करेगा।

कोई बैंक गारंटी स्वीकृत नहीं की जाएगी। निविदा की स्वीकृति की तारीख से 5 दिन के अन्दर प्रस्तावित राशि के 25 प्रतिशत अंश की अदायगी न किए जाने पर जब तक कि अन्यथा आदेश न दिया गया हो, बिक्री स्वतः ही प्रतिसंहृत हो जाएगी और—————की बयाना जमा जब्त कर ली जाएगी और जहाज (शिप) उस निविदाकार के लागत जोखिम पर पुनः बेच दिया जाएगा जिसकी निविदा स्वीकृत की गई थी। यदि बिक्री शेष की अदायगी निविदा स्वीकृत होने की तारीख से 15 दिन के अन्दर नहीं की जाती तो बिक्री स्वतः ही प्रतिसंहृत हो जाएगी और—————रु. की बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी। पहले से ही प्रदत्त 25 प्रतिशत राशि उक्त पुनः बिक्री के लिए होने वाली कमी अथवा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए रख ली जाएगी।

7. लागू सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, स्थानीय कर, आदि क्रेताओं के द्वारा दी जाएगी।

8. निविदाएं उप-संरक्षक की उपस्थिति में तारीख—————को——————पर न्यू मैंगलूर पोर्ट ट्रस्ट में उसके कार्यालय में खोली जाएगी और किसी निविदा की स्वीकृति एकमात्र न्यू मैंगलूर पोर्ट ट्रस्ट के उप-संरक्षक के स्वनिर्णय पर होगी।

9. बिक्री के तारीख से 30 दिन के अन्दर जहाज न्यू मैंगलूर पोर्ट ट्रस्ट से हटा लिया जाना चाहिए। इस समय के दौरान जहाज प्रमाणपत्रित मास्टर प्रमाणपत्रित अधिकारियों और प्रमाणपत्रित इंजीनियरों और उपर्युक्त कर्मीदल की देख-रेख में रखा जाना चाहिए। ये व्यवस्थाएं क्रेता द्वारा की जानी चाहिए।

10. क्रेता को जलयान की बिक्री की तारीख से बंदरगाह से वास्तव में जलयान हटाने की तारीख तक के सभी रेट/जुर्मानों की अदायगी महापत्तन न्यास विनियम, 1987 (जलयानों को करस्थम करना अथवा बंदी बनाना और बिक्री) के अनुसार करनी होगी।

11. किसी भी परिस्थिति में क्रेताओं को बंदरगाह में अथवा पत्तन की सीमाओं के अन्दर जहाज को खोल डालने (डिसमैन्टल) की अमनुति नहीं दी जाएगी। जब तक कि अन्यथा ऐसा करने की अनुमति न दी गई हो।

12. ——————————पर खड़े जहाज का निरीक्षण उप-संरक्षक द्वारा पूर्व निर्धारित तारीख————से————तक किया जा सकता है।

13. पत्तन को किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताए अस्वीकृत करने का अधिकार है।

14. किसी भी परिस्थिति में क्रेताओं को बंदरगाह में अथवा पत्तन की सीमाओं के अन्दर जहाज को खोल डालने अथवा तोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि अन्यथा ऐसा करने की अनुमति विशिष्ट रूप से न दी गई हो।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

New Delhi, the 20th September, 1989

NOTIFICATION

G.S.R. 847 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 121 read with sub-section (j) of section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the New Mangalore Port Trust (District or Arrest and Sale of Vessels) Regulations, 1989 made by the Board of Trustees of New Mangalore Port in exercise of the powers conferred on them by section 123 of the said Act and published in the Karnataka Government Gazette dated 25th May, 1989 and 1st June, 1989 as detailed in the schedule annexed to this notification.

[File No. PR. 16012/1/89-PG]

YOGENDRA NARAIN, Jt. Secy.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by Section 123, read with Section 53 and Section 64, of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Board hereby makes the following regulations, namely :—

Short title and commencement :

(1) These regulation may be called the New Mangalore Port Trust (Distraint or Arrest and sale of Vessels) Regulations, 1989.

(2) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government in the Official Gazette.

2. Application :

These regulations shall apply to all vessels in respect of which any rates or penalties or both are payable under the Major Port Trusts Act, 1963 or under any regulations or orders made thereunder, but shall not apply to vessels belonging to, or in the service of the Central Government or a State Government or to any vessel of war belonging to any Foreign State.

3. Definition :

In these regulations, unless the context otherwise requires,

(i) "Act" means the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963);

(ii) "Deputy Conservator" means the Officer for the time being in charge of the Marine Department, New Mangalore Port Trust and includes the Deputies and Assistants to the Deputy Conservator and any other Officers acting under the authority of the Deputy Conservator ;

(iii) "Form" means the form annexed to these regulations ;

(iv) "Rates" means the rates or penalties payable under the Act ;

(v) Words and expressions used in these regulations but not defined and defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

4. Distraint or arrest of vessels :

(1) Where any vessel in respect of which rates/penalties have not been paid is lying at the Port, a demand in Form I shall be made by the Deputy Conservator upon the Master of the defaulting vessel requiring the said Master to pay all the rates or penalties within a period of seven days from the date of issue of the said demand.

(2) The said demand shall accompany the copy of the bills containing the full particulars of rates or penalties which were raised against the owner or agent of the concerned vessel and payment of which still remains due to the Board.

(3) The said demand shall be served upon the Master and in the event of non-availability of the Master, the affixing of the demand notice on the mast of the vessel shall be deemed as service of the demand upon the Master.

(4) If the Master of the defaulting vessel refuses or neglects to pay the rates/penalties or any part thereof within the time limit specified in the demand made upon the Master, the Board may proceed to distrain or arrest such vessel and the tackle, apparel and furniture belonging thereto, or any part thereof and detain the same until the amount so due to the Board, together with such further amount as may accrue for any period during which the vessel is under distraint or arrest, is paid.

(5) In order to distrain or arrest the defaulting vessel, the Deputy Conservator shall issue a warrant of arrest in Form II clearly specifying the amount due and indicating that the distraint or arrest shall continue until the amount so due to the Board together with further accrual of rates or penalties and costs are paid towards full satisfaction of the Board.

(6) (a) The warrant of arrest shall be served upon the Master of the vessel and a copy thereof shall also be affixed on the mast of the vessel.

(b) In cases where the Master is not available or avoids service of the warrant, the fixing of the copy of the warrant on the mast of the vessel shall be deemed as service of the warrant upon the Master.

(7) If the said rates/penalties or cost of the distraint or arrest of the vessel or of the keeping of the same are not paid by the owner or master or agent of the vessel towards full satisfaction of the Board within a period of five days next after the distress or arrest has been made, the Board shall cause the vessel or other things so distrained or arrested to be sold.

(8) In the case of a foreign vessel placed under distraint or arrest by an order, the Embassy of the Flag Country and the Government of India in the Ministry of Surface Transport shall also be informed.

5. Sale of distrained or arrested vessel :

(1) They Deputy Conservator shall have a valuation survey of the vessel carried out by approved

Surveyors to ascertain the reserve sale price of the distrained vessel;

(2) The Deputy Conservator shall obtain the permission of the Director General, Shipping before putting the vessel and the tackle, apparel and furniture belonging thereto, to sale.

(3) The sale shall be held in accordance with the provisions of the Sale of Goods Act, 1930 and also in terms of the conditions of sale as per Tender Notice.

(4) Sealed tenders shall be invited from the prospective buyers through press advertisement, as in Form III, at least in four leading newspapers, including Hindi and one regional language daily, specifying the last date for the receipt of tenders.

(5) The prospective buyers shall be permitted to inspect the vessel after the sale notice is published in the Press, during a specified period which shall be fixed by the Deputy Conservator.

(6) Each tender shall be accompanied by an earnest money deposit, to be paid by bank draft, to be fixed by the Deputy Conservator in each case.

(7) The tenders received after the due date and time, shall be summarily rejected.

(8) The sealed tenders shall be opened in the presence of tenderers present on the date and time fixed by the Deputy Conservator for opening the tenders and if any tenderer is not present at the time fixed for opening the tenders, his tender may be rejected without opening, giving the reasons.

(9) The acceptance of the offer shall be communicated to the successful tenderer.

(10) The successful tenderer shall pay 25% of the bid amount within five days from the date of acceptance of the tender and the balance amount within 15 days from that date. In addition to the tender value the successful tenderer will also deposit such money/bank guarantee for a value as determined by the Deputy Conservator as security deposit which will be returned within a period of 3 months after successful completion. However, no interest shall be paid by the Port on the deposit so made.

(11) In default of payment of 25% of the bid amount within five days from the date of acceptance of the tender, the sale shall, unless otherwise ordered, stand automatically revoked, and the earnest money sholl be forfeited, and the vessel shall be resold at the risk of the tenderer whose tender was accepted.

(12) If the vessel is not removed from the harbour for any reason within 30 days, additional berth hire charges beyond the normal charges, as laid down in the Port's Scale of Rates, shall be levied.

(13) Under no circumstances, the buyer shall be permitted to dismantle or break the ship inside the harbour or within the port limits, unless or otherwise it is specifically permitted to do so.

6. Liabilities of the buyer of the vessel :

(1) On and from the date of acceptance of the tender all rates/penalties and other charges shall be to the buyer's account.

(2) Upon acceptance of the tender, the buyer shall deposit with the port an amount representing 30 days' port dues, fees and charges as may be estimated by the Deputy Conservator to be payable for such period.

(3) Customs and Excise duties, Sales Tax, Local Taxes, etc. shall be as applicable on buyer's account and he should remit the amounts on account of such duties and taxes to the concerned authorities and produce the receipts for such payments before the clearance is granted to the vessel by the port.

(4) (a) Immediately after the acceptance of the tender the buyer shall make all arrangements for manning and maintenance of the vessel by a certificated master, certificate officers and certificated engineers with an adequate number of crew during the period the vessel is kept inside the harbour.

(b) In case of failure by the buyer in making necessary arrangements for manning and maintaining the vessel, the port authorities may hire and employ proper persons for that purpose and all reasonable expenses incurred in this connection shall be recoverable from the buyer.

FORM-I

[See Regulation 4(1)]

To:

The Master,
m.v./S.S.

SUBJECT: m.v. Rates/Penalties—Non-Payment of rates/penalities—Issue of Notice demanding immediate payment.

Sir,

Please refer to my letter cited. You were requested to pay a sum of Rs.....as on..... towards the following rates/penalities payable under the provisions of the Major Port Trusts Act, 1963/ regulations or orders made thereunder due to the Port Trust on or before .....

1. ..... 2. ..... 3. .....

No steps have so far been taken by you as the Master of the vessel, or by the Agents, to pay dues to the

Port as demanded towards aforesaid rates/penalities. As on.....,an amount of Rs.....is due from the vessel under your command.

2. Notice is hereby given to you for making the above payment in this seven days on receipt of this Notice, failing which provisions of Section 64 of the Major Port Trusts Act 1963 will be invoked to distrain or arrest the vessel and the tackle, apparel and furniture belonging thereto, or any part of hereof, and detain the same until the amount so due to the Board, together with such further amount as may accrure for any period during which the vessel is under distraint or arrest, is paid.

Yours faithfully,
DEPUTY CONSERVATOR

Copy to M/s.
Owners of m.v.

Copy of M/s.
Agents of the vessel.

FORM—II

[See Regulation 4(5)]

To:

The Master,
m.v./S.S.

SUBJECT: SHIPPING —m.v. Rates/penalties —Non-payment or rates/penalties —Distrain order—Issue of.
Ref : My letter of even number dated.....

Sir,

Please refer to my letter cited. You were requested to pay a sum of Rs.....as on..... towards the Rates/penalities due to the .....Port Trust on or before..... No steps have so far been taken by you as Master of the vessel or by the agents to pay the dues to the New Mangalore Port Trust as demanded on.....You are hereby notified that an approximate amount of Rs.....towards rates/penalities as on.....is due from the vessel under your command.

In view of the non-payment of the above rate/penalities due to the.....Board , I hereby pass orders in exercise of the powers given under the provisions of Section 64 of the Major Port Trusts Act, 1963, that the vessel m.v.....is hereby distrained and will be kept under detention until the amount due to the.....Board together with such further amount as may accrue for any period during which the vessel is distrained and detained is paid.

Please also note that in case the above said amount and the cost of the distraint is not settled within 5 days from the date of distraint order (i.e.).....I shall be constrained to sell the above vessel under the powers vested under Section 64 of the said Act and the sale proceeds will be adjusted against the charges due to the Board includng the cost of the sale of the vessel.

Yours faithfully,
DEPUTY CONSERVATOR

Copy to : M/s.
Owners of m.v.

Copy to: M/s.
Agent of the vessel.

FORM—III

[See Regulation 5(4)]

ADVERTISEMENT

In exercise of the powers conferred by Section 64 of the Major Port Trusts Act, 1963, New Mangalore Port Trust invite sealed tenders from the intended purchasers for the sale of the vessel m.v..... on "as is where is" basis.

2. Brief particulars of the vessel are as follows:

Name of the vessel	_____
Year of Built	_____
G.R.T.	_____
N.R.T.	_____
Length	_____
Breadth	_____
Depth	_____
Deadweight	_____
Classification	_____
Engine	_____
B.H.P.	_____
L.D.T.	_____
Year of Built	_____
Yard	_____

3. Officers in double sealed covers are invited before.....Hrs. on.....addressed to the Deputy Conservator, New Mangalore Port Trust alongwith an Earnest Money Deposit of Rs..... .....(Rupees.....) by Bank Deraft payable at.....in favour of.....The tender should be submitted superscribing on the envelop TENDER FOR THE PURCHASE OF M.V.....

4. All tenders received after the due date and time will be summarily rejected.

5. The sealed tenders for the purchase of the vessel shall be opened on.....in the presence of Deputy Conservator, New Mangalore Port Trust in his office. The acceptance of the offer will be communicated to the successful tenderer.

6. The successful tenderer shall pay 25% of the bid amount within five days from the date of acceptance of the tender and the balance within 15 days from that date. No Bank Guarantee will be accepted In default of payment of 25% of the bid amount within five days from the date of acceptance of thetender, the sale shall unless otherwise ordered, stand automatically revoked and the Earnest Money Deposit of Rs.....forfeited and the ship resold at the risk of cost of the tenderer, whose tender was accepted. Should the balance of sale consideration be not paid within the aforesaid time of 15 days from the acedptance of the tender, the sale shall stand automatically revoked and the earnest money of Rs..... .....be forfeited. The 25% amount 'ready paid shall be retained to meet any shortfall or other expenses arising out of the said resale.

7. Customs, Excise, and Import Duty, Sales Tax, Local Taxes, etc. as applicable on 'BUYERS ACCOUNT'.

8. The tenders will be opened on.....at.....in the presence of the Deputy Conservator, New Mangalore Port Trust in his office and the acceptance of any tender will be at the sole discretion of the Deputy Conservator, New Mangalore Port Trust.

2652 GI/89—2

9. The ship should be removed from the New Mangalore Port Trust within 30 days from the date of sale. During this time the ship shoud be kept manned by certificated Master, certificated officers and certificated Engineers plus an adequate number of crew. These arrangements should be made by the Buyer.

10. The Buyer will have to pay all the rate/penalites from the date of sale of the vessel till the date of actual removal of the vessel from the harbour in accordance with the Major Port Trust (Distraint or Arrest and Sale of Vessels) Regulations,1987.

11. Under no circumstances, the Buyer will be permitted to dismantle the ship inside the harbour or within Port limits, unless or otherwise it is permitted to do so.

12. The ship which is lying at.....may be inspected by prior appoitment with the Deputy Conservator, from.....to.....

13. The Port reserves the right to reject any or all the tenders without assgning any reason whatsoever.

(PORT TRUST)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989